

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/103975/MPR/MAINPURI/386/CFO

दिनांक : 28-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SHAHID R. N. S. EDUCATION ACADEMY SITUATED AT BICHHAWA DISTT MAINPURI UP** पता **GATA NO-NO-1335,BICHHAWA,KURAWALI** तहसील - **KURAWALI** प्लॉट एरिया **494.62 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **189.23** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	3.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SHAHID R. N. S. EDUCATION ACADEMY SITUATED AT BICHHAWA DISTT MAINPURI UP** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **29-12-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KAUSHLENDRA SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-12-2023** से **28-12-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SHAHID R. N. S. EDUCATION ACADEMY SITUATED AT BICHHAWA DISTT MAINPURI UP** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SHAHID R. N. S. EDUCATION ACADEMY SITUATED AT BICHHAWA DISTT MAINPURI UP** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 06 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड रखा जाए। किसी प्रशिक्षित एजेसी अथवा अग्निशमन कार्यों में दक्ष स्नातक अग्निशमन अभियन्ता से वार्षिक फायर ऑडिट कराते हुए ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की जाए।
नोट:- भवन परिसर में मानक के अनुसार अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाएं सदैव क्रियाशील दशा में रखना भवन प्रबन्धक की जिम्मेदारी होगी। यदि अग्निशमन व्यवस्थाएं अकार्यशील दशा में होने पर यह प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Yadunath Singh

399EC54EAF776D129BD6E1D9F49907F9674E135D

29-12-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **29-12-2023**
स्थान : **MAINPURI**



check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of MP Fire Service

